



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

प्रवास प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र

Application form for Migration Certificate

(आवेदक द्वारा भरा जाना है- प्रपत्र को भरने से पहले पिछले पृष्ठ पर दिए गए दिशा-निर्देशों को पढ़ें)

(To be filled in by the Applicant-Before filling in the form, see Instructions on reverse).

1. आवेदक का पूरा नाम Name of Applicant (Full in capital letter)			
2. आवेदक के पिता का नाम Applicant Father's Name (Fill In capital letters)			
3. नामांकन संख्या Enrolment No			
4. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम Course/ Programme			
5. पिछली परीक्षा का विवरण Particulars of last examination	वर्ष: Year:	छमाही: Semester:	
परिणाम: उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित Result: Pass / Fail / Absent	प्राप्तांक/ग्रेड Marks/Grade Obtained		
[अदेयता प्रमाण-पत्र, अंतिम अंकतालिका की प्रति और/या एम. फिल/पीएच. डी. अधिसूचना संलग्न करें] [Attach No Dues Certificate, photocopy of final Marksheet and/or notification of M.Phil./Ph.D.]			
6. पत्राचार पता Correspondence address			
7. मोबाइल/Mobile: ई-मेल/E-mail :			
8. विश्वविद्यालय का नाम और अध्ययन का पाठ्यक्रम जिसमें उम्मीदवार जाना चाहता है Name of the University and courses of study to which the candidate wants to migrate			

दिनांक:

Date:

आवेदक के हस्ताक्षर

Signature of Applicant

विभागाध्यक्ष / समन्वयक की टिप्पणी: Remarks of the HoD Chairperson / Coordinator:	संस्तुतित/असंस्तुतित Recommended / Not Recommended
विभागाध्यक्ष / समन्वयक के हस्ताक्षर Signature of HoD / Chairperson / Coordinator	
अधिष्ठाता के हस्ताक्षर Signature of Dean	

दिशा-निर्देश / Instruction

1. प्रपत्र में दिए गए छात्र के विवरण समय-समय पर उसे जारी किए गए प्रमाण-पत्रों में दिए गए विवरण के अनुरूप होने चाहिए। आवेदन पत्र पर छात्र के हस्ताक्षर होने चाहिए और किसी भी स्थिति में उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए।

The particulars of the student given in the form should correspond with those appearing in the Certificates issued to him/her from time to time. The application form must be signed by the student and In no case by someone also on his/her behalf.

2. प्रवासन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन जमा करते समय आवेदक को अपना मूल डिग्री प्रमाण-पत्र या अंतिम वर्ष के अंकों का विवरण या सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जारी अनंतिम प्रमाण-पत्र लाना चाहिए। डाक द्वारा आवेदन करने वाले आवेदक को प्रमाणपत्र की एक फोटो प्रति (विधिवत सत्यापित) जमा कर सकते हैं।

At the time of submission of the application for Issue of Migration Certificate the applicant should bring his/her original Degree Certificate or Statement of Marks of Final Year or provisional Certificate issued by the University for Verification. Applicant applying by post may submit a Photo Copy (duly attested) of the said Certificate.

3. प्रवासन प्रमाण-पत्र की अनुलिपि केवल तभी जारी की जाएगी यदि मूल प्रमाण-पत्र खो गया हो, नष्ट हो गया हो या विकृत हो गया हो। अनुलिपि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप में 2/- रुपये के मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लेनी होगी और शपथ-पत्र जमा करना होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तथ्यों को छिपाना और गलत शपथ-पत्र प्रस्तुत करना एक अपराध होगा और यदि आवेदक ऐसा करता है, तो अपने जोखिम और परिणामों के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। शपथ-पत्र पर केवल आवेदक के ही हस्ताक्षर होंगे।

Duplicate Migration Certificate can be Issued only in case the same has been lost, destroyed or mutilated on submission of an affidavit drawn up on a non-judicial stamp paper of the value of Rs. 2/- to be sworn before a 1st Class Magistrate on the following format. This may be noted that the suppression of facts and furnishing of wrong affidavit will tantamount to an offence and the applicant, if he/she does so, shall do it at his/her own risk and consequences. The affidavit has to be signed by the applicant, himself/herself only.

शपथ-पत्र / Affidavit

“मैं _____ सुपुत्र/सुपुत्री _____ निवासी _____, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करती/करता हूँ कि दिनांक _____ को _____ गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मुझे जारी किया गया प्रवासन प्रमाण-पत्र संख्या _____ खो गया है। जिसके कारण मैं _____ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने में असमर्थ हूँ। मैंने उपरोक्त प्रमाण-पत्र के आधार पर किसी अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है और न ही अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए इसे जमा किया है।”

“I _____ Son/Daughter _____ resident of _____ hereby solemnly declare that the Migration Certificate No. _____ dated _____ issued to me by the Central University of Gujarat, to enable me to Join _____ University has been lost and that I did not join any other University on basis of the same nor have submitted the same for joining any other University.”